डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

श्यामलाल पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल निवासी भैसा तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. जायदा पत्नि अमरदीन जाति मुसलमान निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम।
2. मुकन्दी लाल पुत्र बाल्या
3. रामसिंह पुत्र बाल्या
4. समयसिंह पुत्र बत्तूलाल

   जातियान जाटव निवासीयान भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम।
5. रामेश्वर प्रसाद पुत्र बाल्या जाति जाटव निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम (फौत)

   5/1 रामदेई पत्नि रामेश्वर प्रसाद

   5/2 सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर प्रसाद

   5/3 योगेन्द्र उर्फ बाबी पुत्र रामेश्वर प्रसाद

   5/4 अनु पुत्री रामेश्वर प्रसाद

   5/5 पिन्की पुत्री रामेश्वर प्रसाद
6. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा बौल तहसील टोडाभीम।
7. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 80/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजीयात मे निम्नानुसार डिकी दी जाती है किः–

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	श्यामलाल पुत्र रामचन्द जाति जाटव सा.देह कुतकपुर तहसील हिण्डौन सिटी खातेदार	370 कुल किता	0.14 है0 0.14 है0
2	जायदा पत्नि अमरदीन हिस्सा 17/27 जाति मुसलमान, मुकन्दी पुत्र बाल्या हिस्सा 1/9, रामसिंह पुत्र बाल्या हिस्सा 11/1[illegible] [illegible] पुत्र बत्तूलाल हिस्सा 1/18, रामदेई पत्नि रामेश्वर, सुरेन्द्र, योगेन्द्र उर्फ बाली [illegible] हि.व. 11/108 जाति जाटव सा. ग्राम [illegible] खातेदार	370/2 371 3[illegible] कि[illegible]	0.03 है0 [illegible]17 है0 0.34 है0 [illegible]

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:19 IST
Reason: SelfAttested

उनवान– श्यामलाल बनाम जायदा

.../2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक– 20.05.2022

नं0 80 / 2022

पीठासीन अधिकारी– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

श्यामलाल पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल निवासी भैसा तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. जायदा पत्नि अल्लादीन जाति मुसलमान निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम।
2. मुरारी लाल पुत्र बाल्या
3. रामसिंह पुत्र बाल्या
4. सत्यसिंह पुत्र बत्तुलाल
   जातियान जाटव निवासीयान भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम।
5. रामेश्वर प्रसाद पुत्र बाल्या जाति जाटव निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम (फौत)
   5/1 रामदेई पत्नि रामेश्वर प्रसाद
   5/2 सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर प्रसाद
   5/3 योगेन्द्र उर्फ बाबी पुत्र रामेश्वर प्रसाद
   5/4 अनु पुत्री रामेश्वर प्रसाद
   5/5 मिन्की पुत्री रामेश्वर प्रसाद
6. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बाल तहसील टोडाभीम।
7. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति– श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक 28.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजी खा0नं0 370/0.17, 371/0.17, 372/0.34 कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 है0 में वादी 1/5 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के प्रतिवादीगण जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी तथा प्रतिवादीगण में आराजीयात का बहानी बटवारा क[illegible] पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के [illegible] की डोल मेड को तोड़ते रहते है तथा मना करने पर झगड़ा क[illegible] आये दिन विवाद बना रहता है।

मौका दिनांक 10.05.2022 को प्रतिवादीगण से तहसील [illegible] चलकर बटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया जिस कारण यह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

खातेदार प्रतिवादी न0 5 फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी न0 /1 ता 5/5 है। जो मृतक के तर्के पर काबिज है।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत् तकास्मा प्राथमिक डिकी किया जाकर ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजी ख0न0 370/0.17, 371/0.17, 372/0.34 कुल किता 3 कुल रकवा 0.34 है0 मे तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर बाद प्राप्ति बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से की आरजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। किसी प्रकार का निर्माण ना करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 7 पैरोकार सरकार उपस्थित, शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दावा बाद सुनवाई दिनांक 31.07.2024 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा उभयपक्ष वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भैसा पट्टी खुर्द मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिकी किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	श्यामलाल पुत्र रामचन्द जाति जाटव सा.देह कुतकपुर तहसील हिण्डौन सिटी खातेदार	370	0.14 है0
		कुल किता	0.14 है0
2	जांयदा पत्नि अमरदीन हिस्सा 17/27 जाति मुसलमान, मुकन्दी पुत्र बाल्या हिस्सा 1/9, रामसिंह पुत्र बाल्या हिस्सा 11/108, समयसिंह पुत्र बत्तूलाल हिस्सा 1/18, रामदेई पत्नि रामेश्वर, सुरेन्द्र, योगेन्द्र उर्फ बाली पि0 रामेश्वर हि.ब. 11/108 जाति जाटव सा. ग्राम खातेदार	370/2 371 372	0.03 है0 0.17 है0 0.34 है0
		कुल किता	0.14 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी